न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 194/2016/डिक्री

नसरूल्ला खां पिता बब्बर शेर खां मुसलमान
निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. हनीफ खां पिता बब्बर शेर खां मुसलमान
   निवासी नपावली तहसील भदेसर हाल मुकाम हनुमान कॉलोनी
   धरियावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़
2. मुश्ताक खां उर्फ मुश्तकीम खां पिता बब्बर शेर खां मुसलमान
   निवासी नपावली तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 06.07.2015 प्रकरण सं. 537/2010

उपस्थित – 1. श्री मेहबूब खान – अभिभाषक अपीलान्ट
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित
3. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट एक ने दावा अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके मौजा नपावली के खतोनी संख्या 182 आराजी नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तीनो आराजीयात आराजी नम्बर 119 से सिंचित होती है। आराजी नम्बर 124 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर 126 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा आराजी नम्बर 127 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी नम्बर 161 रकबा 14 बिस्वा आराजी नम्बर 162 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा आराजी नम्बर 164 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा आराजी नम्बर 166 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी नम्बर 168 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 280/912 रकबा 0.03 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। यह आराजीयात अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के शामलाती खातेदारी की है।

वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलान्ट का 1/4 रेस्पोडेन्ट 1 का 1/2 तथा 2 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस बाबत् रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के न्यायालय पेश किया जो दिनांक 06/07/2015 को प्राथमिक डिक्री किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने यह वाद पत्र निर्णित करते समय वक्त सही तथ्यो को एप्रिशिएट नही किया। उक्त प्रकरण मे वादी द्वारा कोई प्रोपर तामील प्रतिवादीगण को नही कराई गई। इस भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पैतृक होने से चला आ रहा है और यह भूमि अन्य भूमियो से मिली हुई है तथा बाडा की भूमि पर कब्जा केवल अपीलान्ट का ही है जिस पर कब्जा पूर्व मे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट को होते हुए भी वादी द्वारा अपने स्तर पर तलबी बताकर उपस्थित बताया गया और एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया था लेकिन वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उनको पक्षकारो (अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 2 को) नही बनाया गया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत् दावा पेश किया गया जो जैरकार है जिसकी जानकारी प्रतिवादी को पूर्ण रूप से नही होने दी और जो अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर इस तथ्य को विवेचित किये जो निर्णय दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के सम्बन्ध मे एक मुकदमा तत्कालीन वादी द्वारा पेश किया गया जो दिनांक 11/05/2012 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया गया। उसके बाद उक्त वाद को नम्बर पर लेने बाबत् किसी प्रकार से कोई नोटिस की सूचना अपीलान्ट के पास नही आई और पुराने वाद पत्र को रेकार्ड पर लेने बाबत् आदेश हो गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को एप्रिशिएट कर जो निर्णय दिया है वह विधि के विरूद्ध है। अपीलान्ट के कब्जे मे वादग्रस्त आराजीयात मे से बाडा की आराजीयात जिसके नम्बर 280/912 रकबा 3 बिस्वा होकर इसका पट्टा अपीलान्ट के नाम से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा 2013 मे बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06/07/15 को हुआ जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि दिनांक 11/05/2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदम हाजरी मे एकतरफा कार्यवाही अंकित कर दी गई थी जिसके

कारण दिनांक 21/11/2013 को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 21/02/2014 को नसरूखां न्यायालय मे उपस्थित नही था। दुबारा सम्मन जारी नही किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06/07/2015 को पत्रावली लोक अदालत मे जाकर निर्णित कर दी गई। लोक अदालत के नोटिस उनकी पत्नि को तामील होना बताया जो सही नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की अनुपस्थिति दर्ज हुई। राज्य सरकार परफोर्मा पार्टी है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त रिकार्ड एवं तथ्यो का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। साथ ही तामील भी अपर्याप्त प्रतीत होती है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 537/2010 मे पारित निर्णय दिनांकः 06.07.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रकरण मे उभयपक्षो की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ